

राज्य परियोजना संचालनालय,  
उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र शासन  
192, ए वी एन टावर, एम पी नगर भोपाल (म.प्र)

1130  
क्र / रूसा वि. बै / प्रशिक्षण/ 2022/

दिनांक: 18/04/2022

प्रति  
प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय  
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है वित्तीय वर्ष 2022-23 में विश्व बैंक परियोजना के तहत उच्च शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के प्राचार्यों/नोडल अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों की Capacity Building किये जाने हेतु विभिन्न विषयों से सम्बंधित प्रशिक्षण निम्नलिखित समय सारणी अनुसार कार्यशाला आयोजित की जा रही है।

<u>Proposed/Tentative Training Program 2022-23</u>						
S.No.	Training Program Name	Duration of each Training	Type of Training	Division	Date	Time
1	Training on e-content	1 Days	Webinar	Bhopal, Indore, Jabalpur Sagar, Gwalior, Ujjain, Rewa	21 <sup>st</sup> & 22 <sup>nd</sup> April, 2022	11 am TO 2:00 PM

एजेंडा विंदु :

S.no.	Subject of Training	Agenda Points
01	Training on e-content	<ul style="list-style-type: none"><li>Digital Studio etiquette DR. P.K.AGRAWAL</li><li>Do's &amp; Don'ts of Studio recording DR. AJAY BHARADWAJ</li><li>Making Effective PPT DR. AMIT JAIN</li><li>General instructions DR. P.K.AGRAWAL</li></ul>

S.No.	Trainer Name	Topic
01.	Dr. P.K. Agrawal	Digital Studio etiquette
02.	Dr. Ajay Bharadwaj	Do's & Don'ts of Studio recording
03.	Dr. Amit jain	Making Effective PPT
04	Dr. P.K. Agrawal	General instructions

**Organizer support:**

S.No.	Trainer Name	Designation	college
01	Ms. Deepa Singh	Asst. Professor	Govt. Nehru Degree college, Budhar
02.	Dr. Dilip Gupta	Asst. professor	Govt Swami Vivekanand College Sarangpur

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु उक्त समय सारणी अनुसार आपके महाविद्यालयों से सम्बंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

(दीपक सिंह, आई. ए. एस )  
कमिश्नर/ परियोजना संचालक

**प्रतिलिपि :**

क्र / /रूसा वि. वै / प्रशिक्षण/ 2022/

**दिनांक:**

1. अतिरिक्त संचालक, समस्त संभाग उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।